संस्था का नाम – जय मरूधर केसरी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी
पंजीयन कमांक –138/नागौर/2007–2008 पंजीयन दिनांक– 29.10.2007

तुलनात्मक विवरण

संस्था की आम सभा दिनॉक 15.07.2023 में लिये गये संशोधन प्रस्ताव का तुलनात्मक विवरण–

क्रं. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	संशोधित विधान (नया नियम)
1	1 संस्था का नाम :–	इस संस्था का जय मरूधर केसरी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी है व रहेगा।	यथावत
2	2 पंजीकृत कार्यालय तथा इसका कार्यक्षेत्र: –	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय :– श्री रामचन्द्र चौधरी, गणेश मंदिर के पास, सिखवालों का मोहल्ला, मेड़ता सिटी है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा।	यथावत
3	3 संस्था के उद्देश्य :–	इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :– 1. संस्थान के मुख्य उद्देश्य आई.टी.आई. खोलना व आई.टी.आई. में विभिन्न प्रकार के ट्रेडस प्रारम्भ करना जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, मोटर मैकेनिक, फिटर, कम्प्यूटर आदि।	यथावत
		2. उक्त संस्थानों में एस.टी.सी., बी.एड., नर्सिंग, जी.एन.एम., ए.एन.एम., वेटेनरी नर्सिंग, बी.एस.सी. नर्सिंग तथा बी.फार्मा. व डी.फार्मा, इंजीनियरिंग व डेंटल एवं मेडिकल तथा विधी कॉलेज खोलकर लड़के–लड़कियों को शिक्षा देना तथा कुशल शिक्षक तैयार करना।	यथावत
		3. भारतीय संस्कृति और उसके आदर्शों के अनुरूप शिक्षण के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना व बी. फार्मा खोलकर छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।	यथावत
		4. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल व अचल सम्पति का क्रय करना व दान लेना। जन संग्रह करना तथा योग्य शिक्षकों द्वारा लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना।	यथावत
		5. राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा कृषि व पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजना को कृषकों को हटाना व उत्थान	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
ज. मरुधर केसरी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी
मेड़ता सिटी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J... algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1... ...:36:31 IST
Reason: Approv...
Location:

		करना।	
		6. गावों व नगरों में व्याप्त बेरोजगारी के निवारण की दृष्टि से यथासंभव उद्योग शिक्षा द्वारा पर्यत्न करना।	यथावत
		7. एन.जी.ओ. द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य व अनुदान प्राप्त करना व कराना तथा प्रशिक्षण देना संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा।	यथावत
		8. कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना तथा वृद्धाआश्रम की स्थापना करना, राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दिये गये योजनाओं को क्रियान्वित करना।	यथावत
		9. शिक्षण व प्रशिक्षण व लोकहित कार्य करना। एड्स नियंत्रण व सामाजिक बुराईयों व कुरूतियों को दूर करना।	यथावत
		10. ग्रामीण क्षेत्र में समिति द्वारा नेत्रहीन एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए कैम्पों का आयोजन करना तथा उनको रोजगार दिलाने के लिए सरकार एवं संस्थाओं से आर्थिक सहायता दिलाने के प्रयास करना।	यथावत
		11. सरकार द्वारा प्रायोजित महिला विकास एवं बाल विकास कार्यक्रमों में सहायता करना।	यथावत
		12. गरीब महिलाओं एवं रोजगार हेतु समिति द्वारा निशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना।	यथावत
		13. राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा चलाए गये जन हितार्थ एवं विकास के कार्यों में सहयोग देना।	यथावत
		14. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक एवं दाहत वर्ग के लिए उत्थान हेतु प्रयास करना।	यथावत
		15. प्राकृतिक आपदाओं एवं बीमारी से ग्रस्त निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना। राज्य व केन्द्रीय सरकार एवं कपार्ट को ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वित करने का प्रयास करना। युवाओं को खेलकूद व प्रशिक्षण संबंधी योजनायें चलाने का प्रयास करना। पशुधन संरक्षण विकास एवं चिकित्सा की योजनायें चलाने का प्रयास करना।	यथावत
		नवीन	16. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित सभी पाठ्यक्रम की स्थापना व संचालन करना।

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री / सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
जय मरुधर केसरी ऐजुकेशनल ... मेड़ता

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J... algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1... :36:31 IST
Reason: Approved
Location:

		नवीन	17. भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया/आरसीआई) द्वारा जारी सभी पाठ्यक्रम की स्थापना करना व संचालन करना।
		नवीन	18. बी.एस.टी.सी., बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, चार वर्षीय आई.टी.ई.पी., लॉ कॉलेज, कृषि कॉलेजों, फॉर्मेसी कॉलेज विशेष योग्यजनों के लिए स्पेशल बी.एस.टी.सी., स्पेशल बी. एड. कॉलेज, स्पेशल नर्सिंग कॉलेजों का संचालन करना।
		नवीन	19. संस्था के द्वारा विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थानों यथा–हिन्दी माध्यम स्कूलों, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई,, एस.टी.सी., बी.एड., एम.एड., मैनेजमेन्ट कोर्स हेतु कॉलेजों, कृषि कॉलेजों, विशेष योग्यजनों के लिए स्पेशल बीएसटीसी, स्पेशल बी.एड. कॉलजों का संचालन करना।
		नवीन	20. मानसिक मंदता(एम.आर.) वाले बालकों, दृष्टि बाधित बालकों (वी.आई.), सुनने में अक्षम (एच.आई.), मुक बधीर बालकों के लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विघालय की स्थापना व संचालन करना।
		नवीन	21. मानसिक मंदता(एम.आर.) वाले बालकों, दृष्टि बाधित बालकों (वी.आई.), सुनने में अक्षम (एच.आई.), मुक बधीर बालकों के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विधालय की स्थापना व संचालन करना।
		नवीन	22. दिव्यांग व विशेष बालकों हेतु विशेष शिक्षण–प्रशिक्षण महाविधालय/विधालय की स्थापना व संचालन करना।
		नवीन	23. मानसिक मंदता (एम.आर.) वाले बालकों हेतु विशेष शिक्षण–प्रशिक्षण महाविधालय /विधालय की स्थापना व संचालन करना।
		नवीन	24. दृष्टि बाधित बालकों (वी.आई.), वाले बालकों शिक्षण–प्रशिक्षण महाविधालय/ की स्थापना व संचालन करना।
		नवीन	25. सुनने में अक्षम (एच.आई.), मुक बधीर बालकों हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण महाविधालय/विधालय की स्थापना व संचालन करना।

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
जय मरुधर केसरी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by J[illegible]algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1[illegible]:36:31 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		नवीन	26. तकनिकी शिक्षा के क्षेत्र में पोलोटेक्निकल, इंजीनियरिगं, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने में सहयोग करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाम निहित नहीं है।
4	4 सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें:– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हो 3. पागल, दिवालिये न हो 4. संस्था के उद्देश्यों व रूचि व आस्था रखते हो 5. सस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो	यथावत
5	5 सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :– 1. संरक्षक 2. विशिष्ट 3. सम्माननीय 4. साधारण (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये।)	यथावत
6	6 सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चंदा :–	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्य द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा। – 1. संरक्षक राशि 11000/– वार्षिक 2. विशिष्ट राशि 5000/– वार्षिक 3. सम्माननीय राशि 2500/– वार्षिक 4. साधारण राशि 2500/– वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त या रूपये एक मुश्त जमा कराई जा सकेगी।	यथावत
7	7 सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :– 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग–पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैद्य समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।	यथावत
8	8 साधारण सभा :–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करना।	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
जय मरुधर केसरी ऐजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J... ...algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1... ...:36:31 IST
Reason: Approv...
Location:

9	9 साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगें :– 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संषोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)	यथावत
10	10 साधारण सभा की बैठकें :–	साधारण सभा की बैठक के नियम :– 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड्ने पर विषेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री(सचिव) द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कौरम के अभाव में बैठक स्थापित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कौरम की कोई आवष्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री(सचिव)/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगें।	यथावत
11	11 कार्यकारिणी का गठन :–	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :– 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Manidhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Manidhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J... algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1... :36:31 IST
Reason: Approv...
Location:

		3. मन्त्री(सचिव)—एक 4. कोषाध्यक्ष—एक 5. सदस्य—बारह (उक्त पदो के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में चार (04) पदाधिकारी व बारह (12) सदस्य कुल सोलह (16) सदस्य होंगे।	
12	12 कार्यकारिणी का निर्वाचन :—	1. संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत
13	13 कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :—	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:— 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4. वैतनित कर्मचारियों को नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	यथावत
14	14 कार्यकारिणी की बैठकें :—	1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावष्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष
जय मरुधर केसरी ऐजुकेशनल एवं वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J[illegible]algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1[illegible]:36:31 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	
15	15 प्रबंधकारणी के पदाधिकारीयों के अधिकार व कर्तव्य	संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार के कर्त्तव्य निम्न प्रकार के अधिकार व कर्तव्य होंगः– 1. अध्यक्ष : 1 बैठकों की अध्यक्षता करना। 2 मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। 3 बैठकें आहूत करना। 4 संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5 संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 2. उपाध्यक्ष : 1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना 2 प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना। 3 मन्त्री/सचिव : 1 बैठकें आहूत करना। 2 कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3 आय–व्यय पर नियन्त्रण करना। 4 वैतनिक कर्मचारियों पर नियंन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा भत्ता बिल आदि पास करना। 5 संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 6 पत्र व्यवहार करना। 7 सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवष्यक हो। 4 उपमंत्री :– 1. मंत्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना। 2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपें जावें। 5 कोषाध्यक्ष :– 1 वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। 2 दैनिक लेखें पर नियन्त्रण रखना। 3 चन्दा/शुल्क अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J... algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.1... :36:31 IST
Reason: Approv...
Location:

		4 अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।	
16	16 संस्था का कोष :–	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :– 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे सुरक्षित रखी जायेगी। 2. अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :– 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सरकार से मान्यता प्राप्त प्राईवेट बैंक मे सुरक्षित रखी जायेगी। 2. अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष/प्रबन्धकारिणी सदस्य में से किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।
17	17 कोष सम्बन्धी विषेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 1000/ रू. 2. मन्त्री/सचिव 500 / रू. 3. कोषाध्यक्ष 250 /–रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगें :– 1. अध्यक्ष 51,000 / रू. 2. मन्त्री/सचिव 51,000 / रू. 3. कोषाध्यक्ष 51,000 /–रू. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।
18	18 संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं नागौर को प्रस्तुत करने होंगें।	यथावत
19	19 संस्था के विधान में परिवर्तन	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार, साधारण सभा के कुल परिवर्तन :–सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा संषोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत
20	20 संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उद्देष्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं नागौर को पंजीयन रद्द करने को पूर्ण	यथावत

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational & Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

मेड़ता सिटी

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J[illegible]algodara
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.10.[illegible]:36:31 IST
Reason: Approved
Location:

		अधिकार होगा।	
21	21 संस्था के लेखें जोखे का निरीक्षण	रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों को पूर्ति की जावेगी।	यथावत

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) जय मरुधर केसरी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी मेड़ता सिटी की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष
Chairman
Jai Marudhar Kesari Educational
& Walfare Society, Merta City

मंत्री/सचिव
Secretary
Jai Marudhar Kesari Educational
& Walfare Society, Merta City

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by J[illegible]algodara
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.1[illegible]:36:31 IST
Reason: Approv[illegible]
Location: